भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2459
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

2459. श्री बी.एन. बचेगौडाः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण लो□ों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके आर्थिक कल्याण के लिए तैयार/ला□ू किए □ए कार्यक्रमों/नीतियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) ग्रामीण लो□ों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ग्रामीण लो□ों की □रीबी और बेरोज□ारी समाप्त करने और बुनियादी जरूरतों जैसे कि आवास और कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए □ए उपायों/चलाई □ई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(□) इन स्कीमों/योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और ग्रामीण लो□ों में सरकारी कार्यक्रमों/नीतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए की □ई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में □रीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लो□ों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजीविका के अवसरों में वृद्धि, स्व-रोज□ार को प्रोत्साहन, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, अवसंरचना विकास, सामाजिक सहायता और अन्य आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान और ग्रामीण क्षेत्रों में □रीबी के उपशमन के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लो□ों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाने के लिए महात्मा □ाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज□ार □ारंटी (मनरे□ा) योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (□ीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल

उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (□ी□ीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक-आर्थिक जाति□त जन□णना (एसईसीसी), 2011 के अनुसार ल□भ□ 10.74 करोड़ □रीब एवं वंचित परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्□त ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र 10.74 करोड़ परिवारों में से, एसईसीसी के आँकड़ों के अनुसार ल□भ□ 8.19 करोड़ परिवारों का निर्धारण किया □या है। महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अंतर्□त लाभ पाने के पात्र परिवारों की संख्या ल□भ□ 8.36 लाख है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई), जिसका नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना कर दिया □या है, के अंतर्□त प्रत्येक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे प्रत्येक बच्चे, शिक्षा □ारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केन्द्रों (एआईई) में पढ़ रहे बच्चों को कम से कम 200 दिन तक रोजाना पका हुआ मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आई□ीएमआई) योजना शुरू की है।

एनएसएपी □रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक कल्याण/सामाजिक सुरक्षा योजना है जो महाराष्ट्र सहित पूरे देश में चलाई जा रही है। इसमें इंदिरा □ांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा □ांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएन□ब्ल्यूपीएस), इंदिरा □ांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (आईजीएन□ीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा नामक पांच अल□-अल□ कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

महाराष्ट्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों और लक्षित समूहों में इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के प्रति निरंतर जा□रूकता बनाए रखने के लिए इस मंत्रालय में आईईसी कार्यकलापों की आयोजना और निष्पादन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के नाम से एक पृथक प्रभा□ मौजूद है।

*****